स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया-प्रशांत साझेदारी

बहुद्देश्यीय दिशानिर्देश

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य नीति और क्रियान्वयन समिति की बहुद्देश्यीय परियोजनाओं की पहचान के लिए एक ढांचे का गठन करना, और कार्य बलों को संभावनाशील बहु उद्देश्यों के तौर पर सही परियोजनाओं की प्रस्तावना में सहायता करना है।

1. परिचय

1.1 ये दिशानिर्देश स्वच्छ विकास और जलवायु ('साझेदारी') पर एशिया-प्रशांत साझेदारी की नीति और क्रियान्वयन समिति ('समिति') द्वारा तैयार किए गए हैं।

1.2 इन दिशानिर्देशों को साझेदारी से जोड़कर पढ़ना चाहिए:

- जनवरी, 2006 का घोषणापत्र।
- जनवरी, 2006 की कार्य योजना।
- जनवरी, 2006 में उद्‌घाटन मंत्रालयी बैठक की विज्ञप्ति।
- अप्रैल, 2006 के कार्य बल दिशानिर्देश।
- अप्रैल, 2006 की कार्य योजना दिशानिर्देश।

1.3 कार्य योजना दिशानिर्देश (पैराग्राफ 3.9) कहता है:

> समिति द्वारा जारी दिशानिर्देश पर कार्य बल अपने विवेक और अनुकूलता से 'बहुद्देश्यीय' परियोजनाओं और गतिविधियों की प्रस्तावना अपनी कार्य योजना का ही एक हिस्सा मानकर करेंगे। प्रस्तावित बहुद्‌देश्यीय परियोजनाओं या गतिविधियों को मान्यता तभी दी जाएगी, जब समिति से उन्हें मंजूरी मिल जाए।

2. बहुद्देश्यीय प्रारूप

2.1 कार्य बल परियोजनाओं और गतिविधियों के एक छोटे-से हिस्से को ही बहुद्देश्यीय परियोजनाएं माना जाए. सामान्यत: समिति एक अवधि में 10 से 15 परियोजनाओं की ही उम्मीद करेगी, लेकिन इनकी वास्तविक संख्या प्रस्तावित परियोजनाओं की विशेषताओं पर निर्भर करेगी।

2.2 बहुद्देश्यीय का मतलब परियोजनाओं और गतिविधियों के प्रारूप से है, जो सामूहिक तौर पर उदाहरण के साथ (समझाना और प्रदर्शन करना) साझेदारी के उद्देश्य और उसकी दृष्टि के बारे में बताएगा। इसलिए प्रारूप साझेदारी के लक्ष्य के अनुरूप उसके समूचे क्रियाकलापों, जैसे, तकनीकी शोध और विकास, केंद्रीय परियोजनाओं, प्रदर्शन और क्रियान्वयन गतिविधियों, क्षमता विकास और सर्वोत्तम प्रयोग के फैलाव से युक्त होना चाहिए।

2.3 बहुद्देश्यीय प्रारूप की साझेदारी और अपनी क्षमता बढ़ाने की गतिविधियों में सरकार और उद्योग क्षेत्र, दोनों का बराबर जुड़ाव होना चाहिए।

2.4 बहुद्देश्यीय प्रारूपों को अनिवार्य रूप से उन निष्कर्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो साझेदारी के लक्ष्य को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे। बहुद्देश्यीय परियोजनाओं और गतिविधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी केंद्रीय योजनाओं में यथार्थवादी और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को शामिल करेंगे।

3. बहुद्देश्यीय चयन

3.1 समिति कार्य बल द्वारा प्रस्तावित सभी परियोजनाओं और गतिविधियो, खासकर बहुद्देश्यीय के तौर पर प्रस्तावित परियोजनाओं, की जांच करेगी, और उनका चयन करेगी, जो धारा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर खरी उतरती हैं और जिनके क्रियान्वयन के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों का प्रबंध कर लिया गया है।

3.2 समिति सदस्य कार्य योजना में शामिल उन परियोजनाओं और गतिविधियों को नामित कर सकते हैं, जिन्हें कार्य बलों ने संभावित बहुद्देश्यीय परियोजनाओं के तौर पर नामित न किया हो। अगर समिति ऐसा करना चाहती है, तो इसके लिए वह कार्य बल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संपर्क करेगी। समिति उन परियोजनाओं और गतिविधियों को भी नामित कर सकती है, जिन्हें कार्य बलों के दायरे से बाहर रखा गया है।

3.3 समिति किसी भी समय बहुद्देश्यीय प्रारूप को अपडेट कर सकती है, क्योंकि नई परियोजनाएं और गतिविधियां विकसित होती रहती हैं और मौजूदा बहुद्देश्यीय की अवधि समाप्त हो सकती है। कार्य बल किसी भी समय ऐसे अपडेट प्रस्तावित कर सकता है।

3.4 एक संतुलित और प्रातिनिधिक प्रारूप सुनिश्चित करने के लिए समिति उस परियोजना या गतिविधि को शामिल न करने का निर्णय ले सकती है, जिसे कार्य बल ने बहुद्देश्यीय के तौर पर प्रस्तावित किया हो। समिति के ऐसे फैसले का अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसी परियोजना या गतिविधि की गुणवत्ता कम है। इसका मतलब यह है कि उच्च गुणवत्ता वाली उन परियोजनाओं का, जो अपनी प्रकृति में दूसरी बहुद्देश्यीय की तरह हैं, चयन नहीं किया जाएगा।

4. बहुद्देश्यीय प्रचार

4.1 बहुद्देश्यीय परियोजनाओं और गतिविधियों का संभवत: साझेदारी के क्रियाकलापों और लक्ष्यों के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मंत्रियों के दौरे और मीडिया रिपोर्टिंग शामिल हो सकती है।

4.2 बहुद्देश्यीयों को प्रस्तावित और उनका चयन करते वक्त कार्य बल और समिति को चाहिए कि वे परियोजनाओं और गतिविधियों की बेहतरी पर विचार करें।

4.3 बहुद्देश्यीय परियोजनाओं और गतिविधियों पर ऐसी पैनी नजर रखने से समिति यह उम्मीद करेगी कि कार्य बल न सिर्फ अपने बहुद्देश्यीय परियोजनाओं की भली भांति निगरानी कर पाएंगे, बल्कि समिति को इनसे जुड़ी रिपोर्टें भी भेजेंगे।